फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

गीता देवी बनाम ए डी एम तृतीय व अन्य

केस संख्या 29/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
22.08.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि राजस्थान सरकार की अधिसूचना राजस्व (ग्रुप -1) विभाग दिनांक 05 अगस्त 20123 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नव जिले जयपुर (ग्रामीण) का सृजन किया गया है। जिसके अनुसार उक्त पत्रावली का सुनवाई क्षेत्राधिकार अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर को नही होकर नवसृजित जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण को है। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या /2023 ब उनवानी गीता देवी बनाम किशन लाल व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार शर्मा आर॰ ए॰ एस॰ से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। चूंकि उक्त पत्रावली का सुनवाई क्षेत्राधिकार नवसृजित जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण को है। अतः अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार शर्मा आर॰ ए॰ एस॰ के विरूद्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर ने मूल पत्रवली इस न्यायालय को भिजवाई है जो मूल ही संबंधित न्यायालय में भिजवाने हेतु लौटाई जावे । पत्रावली नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर जयपुर	